## df"k mit foi.ku lfefr fcyklij] ftyk fcyklij] fgekpy in'k d y[kkvk dk

## vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu

## vof/k 4@10 l 3@11

## Hkkx&,d

### 1 xr vd{k.k ifronu&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैरों पर की गई कार्यवाही पर वर्तमान अंकेक्षण के दौरान समीक्षा उपरान्त कुछ पैरों का निपटारा किया गया। पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से रहीः–

**¼d½ y[kk ijh{kk ifronu 4@85 l 3@89 rd**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–6 (2) | निर्णीत |
| | पैरा–6 (3) | निर्णीत |

**¼[k½ y[kk ijh{kk ifronu vof/k 4@94 l 3@95**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–6 (5) | अनिर्णीत | (कम प्राप्त मण्डी षुल्क की वसूली अपेक्षित है) |
| 2 | पैरा–7 (घ) | समाप्त | (वर्ष 4/95 से 3/98 के प्रतिवेदन में पैरा 7 (ग) के अन्तर्गत पुनः प्रारूपित) |

**¼x½ y[kk ijh{kk ifronu vof/k 4@95 l 3@98**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–6 (ख) | अनिर्णीत | (अभिलेख मण्डी बोर्ड षिमला में अपेक्षित है) |
| | पैरा–6 (ज) | अनिर्णीत | |
| | पैरा–6 (झ) | अनिर्णीत | (अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया) |
| 2 | पैरा–7 (ग) | अनिर्णीत | (अपेक्षित वसूली षेष है) |
| | पैरा–7 (ड.) | अनिर्णीत | (अंकेक्षण प्रतिवेदन के पृ0 13 पर (घ) के बाद (ड.) के स्थान पर गलती से (3) टंकित किया गया है, जिसे अब (ड.) पढ़ा जाए) |

**¼?k½ y[kk ijh{kk ifronu vof/k 4@98 l 3@01**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा–5 (क) | अनिर्णीत |

**¼M-½ y[kk ijh{kk ifronu vof/k 4@01 l 3@02**

1 पैरा–5 (च) निर्णीत (किराए की वसूली कर ली गई है)

¼p½ y[kk ijh{kk ifrosnu vof/k 4@02 ls 3@03

1 पैरा–6 (क) निर्णीत

¼N½ y[kk ijh{kk ifrosnu vof/k 4@04 ls 3@05

1 पैरा–11 (1) से 11 (5) अनिर्णीत (कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाया गया है)

¼t½ y[kk ijh{kk ifrosnu vof/k 4@05 ls 3@06

1 पैरा–14 निर्णीत (सटिप्पण उत्तर की समीक्षा उपरान्त पैरा समाप्त )

¼>½ y[kk ijh{kk ifrosnu 4@06 ls 3@08

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (i) | पैरा–12 (1) | अनिर्णीत | (दुकान का किराया अवधि 1.1.03 से 12/04 तक वसूलने को षेष है) |
| | (ii) | पैरा–12 (3) | अनिर्णीत | (राषि वसूलने का षेष है) |
| 2 | | पैरा–19 | अंषतः निर्णीत | (कुछ फर्मों से रिटर्न अपेक्षित है) |
| 3 | | पैरा–20 | अनिर्णीत | (मण्डी षुल्क की वसूली षेष है) |
| 4 | | पैरा–21 | अनिर्णीत | (मण्डी षुल्क की वसूली षेष है) |
| 5 | | पैरा–22 (2) | अनिर्णीत | (मामला वसूली हेतु डाला गया है) |

¼¥½ y[kk ijh{kk ifrosnu vof/k 4@08 ls 3@09

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–11 | निर्णीत | (₹1600/–टैक्सी किराए की स्वीकृति देख ली गई है) |
| 2 | पैरा–12 (1) | अनिर्णीत | (उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक अपेक्षित है) |
| | पैरा–12 (2) | अनिर्णीत | –यथोपरि– |
| 3 | पैरा–14 | अनिर्णीत | |
| 4 | पैरा–16 (1) | निर्णीत | (कार्यवाही देख ली गई थी। पूर्व में निर्णित किया गया था) |
| | पैरा–16 (2) | निर्णीत | (समीक्षा उपरान्त पैरा समाप्त) |
| 5 | पैरा–17 (1) | निर्णीत | (सम्बन्धित दुकानदारों को बिजली मीटर लगाने बारे लिख दिया गया है) |
| | पैरा–17 (2) | अनिर्णीत | (कार्योत्तर स्वीकृति अपेक्षित है) |
| 6 | पैरा–18 | निर्णीत | (सटिप्पण उत्तर उपरान्त पैरा समाप्त) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | पैरा–19 | अंषतः निर्णीत | (वसूली षेष पड़ी है) |
| 8 | पैरा–20 | निर्णीत | |
| 9 | पैरा–22 (क) | निर्णीत | (खाता सं0 5013 को अंकेक्षण अवधि के दौरान बन्द कर राषि FDR में डाल दी गई है पुष्टि कर ली गई) |

¼V½ y[kk ijh{kk ifronu vof/k 4@2009 l 3@2010

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–5 (ख) | निर्णीत | (आय में बढ़ौतरी हेतु सुझाव अनुसार प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है) |
| | पैरा–5 (ग) | अनिर्णीत | (खाली पदों को भरने की प्रकिया नही की गई है) |
| 2 | पैरा–8 | निर्णीत | (सुझावानुसार कार्यवाही षुरू कर दी गई है) |
| 3 | पैरा–9 (1) | निर्णीत | (फार्म "यू" जारी करने बारे प्रक्रिया पूर्ण की गई) |
| 4 | पैरा–10 (1) (1 से 6 तक) | समाप्त | (पैरा प्रतिवेदन से हटाया जाता है जिसे 4/10 से 3/11 के प्रतिवेदन मे पुनः प्रारूपित किया गया है) |
| | पैरा–10 (7) | अनिर्णीत | (विलम्ब किराया पर कार्यवाही अपेक्षित है) |
| | पैरा–10 (2) | अनिर्णीत | (कानूनी नोटिस प्रक्रिया अपेक्षित है) |
| 5 | पैरा–11 | अनिर्णीत | (₹45000/–की वसूली षेष है) |
| 6 | पैरा–12 (1) | अनिर्णीत | (अतिक्रमण बारे कोई कार्यवाही नहीं की गई) |
| | पैरा–12 (2) | अनिर्णीत | –यथोपरि– |
| | पैरा–12 (3) | अनिर्णीत | –यथोपरि– |
| | पैरा–12 (4) से (6) | अनिर्णीत | –यथोपरि– |
| 7 | पैरा–13 | निर्णीत | (पंजीकृत अभिलेख देखे गए) |
| 8 | पैरा–14 (1) | निर्णीत | (वर्ष 2010–11 में पुनः प्रारूपित) |
| | पैरा–14 (2) | निर्णीत | (समायोजन विपत्र देख लिए गए) |
| 9 | पैरा–15 | निर्णीत | (स्वीकृति देख ली गई है) |
| 10 | पैरा–16 (1) (2) | निर्णीत | (Possession taken Hence Settled) |
| 11 | पैरा–17 | निर्णीत | (समीक्षा उपरान्त पैरा समाप्त) |
| 12 | पैरा–18 | अनिर्णीत | (कोई कार्यवाही नहीं की गई) |
| 13 | पैरा–19 | अनिर्णीत | (वसूली की प्रक्रिया जारी है) |
| 14 | पैरा–20 | अनिर्णीत | (अभिलेख नहीं दर्षाए गए है) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | पैरा–21 | निर्णीत | (समीक्षा के उपरान्त समाप्त) |
| 16 | पैरा–22 | निर्णीत | (वर्ष 201–2011 में आय में बढ़ौतरी पाई गई) |
| 17 | पैरा–23 | निर्णीत | (सत्यापन कर लिया गया है) |
| 18 | पैरा–24 | अनिर्णीत | (कोई कार्यवाही नहीं की गई) |
| 19 | पैरा–25 | अनिर्णीत | (कोई कार्यवाही नहीं की गई) |
| 20 | पैरा–26 | निर्णीत | |

½2½ orZeku ys[kk ijh{kk vof/k ds nkSjku foi.ku mit e.Mh fcykliqj esa fuEu foi.ku lfefr ikf/kdkjh lfpo ds in ij dk;Zjr jgs&

| lfpo@vkgj.k ,oa forj.k vf/kdkjh dk uke | vof/k |
|---|---|
| श्री भूपिन्द्र सिंह ठाकुर | 1.4.2010 से 31.3.2011 |

2 vk; ,oa O;; fo'ys"k.k&

विपणन उपज मण्डी बिलासपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–2011 में ₹7642911/– की मण्डी षुल्क एवं अन्य स्त्रोंतों से आय प्राप्त की गई जबकि गत वर्ष आय ₹53.89/–लाख रही इस प्रकार गत वर्ष की अपेक्षा आय में 8.38% की बढ़ौतरी दर्ज पाई गई जिसका मुख्य कारण मुख्यालय से बाहर जा कर पंजीकृत लाईसेन्स धारकों की पड़ताल करना व इस के अतिरिक्त प्रबन्ध निदेषक हिमाचल प्रदेष राज्य कृषि विपणन बोर्ड के ज्ञापन सं0–एच0एम0बी0/6–3/2004 खण्ड 2915 दिनांक 9.4.10 द्वारा वर्ष 2010–2011 के लिए मण्डी षुल्क की प्राप्ति ₹900000/–का लक्ष्य रखा जाना है, जो अभी भी लक्ष्य से 2% कम ही पाया गया, परन्तु पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2010–11 में आय में बढ़ौतरी पाई गई जो सन्तोषजनक है।

# Hkkx&nks

## 3 orZeku vads{k.k%&

विपणन समिति बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेष के अवधि 1.4.2010 से 31.3.2011 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण एवम निरीक्षण, जिस के परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए है, श्री यषवीर कुमार, अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा दिनांक 24.3.2011 से 30.4.2011 (क0ले0प0) देव राज रणौत द्वारा दिनांक 30.3.11 (केवल एक दिन) दौरान मण्डी समिति बिलासपुर में किया गया।

foLr`r tkap@iMrky ds fy, fuEu ekl dk p;fur fd;k x;k%&

| vof/k | p;fur ekg |
|---|---|
| 2010—11 | 9/10 व 1/11 |

अनुवर्ती अनुच्छेदों के अतिरिक्त समस्त अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए गए। विपणन समिति बिलासपुर द्वारा जो अभिलेख रिकार्ड प्रस्तुत किया गया अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण तदानुसार ही किया गया। संस्थाध्यक्ष द्वारा किसी प्रकार की अधूरी व अपूर्ण सूचना के लिए लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष षिमला—171009 का कोई दायित्व नही होगा, क्योंकि स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का दायित्व केवल उपरोक्त चयनित मासों तक ही सीमित है।

## 4 foÙkh; fLFkfr%&

कृषि उपज विपणन समिति बिलासपुर (हिमाचल प्रदेष) की वर्ष 2010—11 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रहीः—

| | | |
|---|---|---|
| 1 | प्रारम्भिक षेष | 3499160.52 |
| 2 | वर्ष 2010—2011 के दौरान प्राप्तियॉ | 7642911.00 |
| 3 | वर्ष के दौरान बचत खातों पर प्राप्त ब्याज | 25340.00 |
| 4 | वर्ष के दौरान सावधि जमा पर ब्याज अर्जन | 157416.00 |
| 5 | कुल योग | 11324827.00 |
| 6 | व्यय | 5068391.00 |
| 7 | अन्तः षेष | 6256436.00 |

cSd lek/kku foojf.kdk%&

¼1½ fnukad 31-3-2011 dks cSd [kkrks esa 'ks"k iMh jkf'k;ksa dk fooj.k fuEu izdkj ls jgk%&

| Øekad | cSd dk uke | [kkrk la0 | 'ks"k jkf'k | fVIi.kh |
|---|---|---|---|---|
| (i) | हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक षाखा | 5013 | 25302 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | बिलासपुर | | |
| (ii) | हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक षाखा षाहतलाई | 2537 | 168416 |
| (iii) | हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक षाखा स्वारघाट | 1615 | 442660 |
| (iv) | यूको बैंक मण्डी परिसर बिलासपुर | 07 | 1442307 |
| (v) | आई0सी0आई0सी0आई0 | 00042 | 174187 |
| | ;kx | | 22]52]872 |

| | | |
|---|---|---|
| (2) | सावधिक जमा में निवेषित राषि | 39,91,499.00 |
| (3) | हस्तगत राषि | 12,065.00 |
| | dqy ;kx ¼1½ ls ¼3½ | 62]56]436-00 |

## 5 fuos'k&

¼d½ वर्ष 2010–11 में निम्न विवरणानुसार कुल ₹39,91499/– की राषि सावधि जमा के अन्तर्गत निवेष की गई है जिन्हें हिमाचल प्रदेष राज्य सहकारी बैंक समिति नम्होल बिलासपुर, जुखाला, षाहतलाई व यूको बैंक परिसर मण्डी समिति बिलासपुर में डाला गया है। इस सन्दर्भ में परामर्ष दिया जाता है कि सावधि जमा के समय–समय पर परिपक्वता पर भुनाया जाना व पुर्ननिवेष किया जाना सुनिष्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त ब्याज अर्जन राषियों का रोकड़ वही में समय–2 पर लेखांकन भी सुनिष्चित किया जाए।

| Ø0 l0 | lkof/k [kkrk l0 | fuosf'kr fnukd | fuosf'kr jkf'k | % | vof/k | ifjiDork jkf'k | ifjiDork fnukd | C;kt vtZu | 'kk[kk dk uke | i0 | fVIi.kh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205703 057112 | 9.7.10 | 535930 | 7.25% | 36 माह | 664346 | 9.7.13 | 128916 | यूको बैंक बिलासपुर | 31 | कोई नही |
| 2 | 000243 057581 | 9.3.10 | 500000 | 7% | 13 माह | 539116 | 9.11.11 | 39116 | यूको बैंक बिलासपुर | 31 | कोई नही |
| 3 | 000245 057582 | 9.3.10 | 200000 | 7% | 13 माह | 215646 | 9.11.11 | 15646 | यूको बैंक बिलासपुर | 31 | कोई नही |
| 4 | 000303 056561 | 19.11.10 | 488529 | 7.25% | 36 माह | 606043 | 19.11.13 | 117514 | यूको बैंक बिलासपुर | 31 | कोई नही |
| 5 | 009673 72283 | 18.1.11 | 800000 | 8.75% | 15 माह | 891360 | 18.4.12 | 91360 | यूको बैंक बिलासपुर | 31 | ₹53/– ब्याज की |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | गणना कम की गई है |
| | ;kx | | 2524459 | | | | | 392552 | | | |
| ¼2½ | fgekpy in'k jkT; lgdkjh cad | | | | | | | | | | |
| 1 | 369970 | 10.10.10 | 76616 | 7.30% | 36 माह | 95186 | 10.10.13 | 18570 | षाखा नम्होल | 3 | कोई नही |
| 2 | 369969 | 10.10.10 | 20895 | 7.30% | 36 माह | 25959 | 10.10.13 | 5064 | षाखा नम्होल | 3 | कोई नही |
| | | | 97511 | | | | | 23634 | | | |
| ¼3½ | fgekpy in'k jkT; lgdkjh cad | | | | | | | | | | |
| 1 | 477734 | 5.5.10 | 57990 | 6.75% | 12 माह | 62005 | 5.5.11 | 4015 | षाखा षाहतलाई | 12 | कोई नहीं |
| | | | 57990 | | | | | 4015 | | | |
| ¼4½ | fgekpy in'k jkT; lgdkjh cad | | | | | | | | | | |
| 1 | 370863 | 6.2.11 | 427691 | 9.25% | 24 माह | 513523 | 6.2.13 | 85832 | षाखा बिलासपुर | 20 | कोई नहीं |
| 2 | 370765 | 21.11.10 | 243980 | 7.75% | 36 माह | 307158 | 21.11.13 | 63178 | षाखा बिलासपुर | 20 | कोई नहीं |
| | | | 671671 | | | | | 149010 | | | |
| ¼5½ | fgekpy in'k jkT; lgdkjh cad | | | | | | | | | | |
| 1 | 472775 | 6.4.10 | 136601 | 6.75% | 12 माह | 146058 | 6.4.11 | 9457 | षाखा लखनपुर बिलासपुर | 47 | कोई नहीं |
| | | | 136601 | | | | | 9457 | | | |
| 1 | 542430 | 17.12.10 | 500000 | 7.75% | 24 माह | 582964 | 17.12.12 | 82964 | षाखा जुखाला | 35 | Pre-matured after 44 days and re-invested at as sr.No.2 with interest accrued of 3267/- |
| 2 | 542554 | 8.2.11 | 503267 | 9.25% | 24 माह | 604266 | 9.2.12 | 100999 | षाखा जुखाला | 35 | |

¼[k½ सावधि जमा 005673/72233 जो कि दिनांक 18.1.2011 को ₹800000/–की यूको बैंक में निवेष की गई थी, की परिपक्वता दिनांक 18.4.2012 को होनी है लेकिन ब्याज की गणना पर पाया गया कि परिपक्वता पर कुल राषि ₹891413/–बनती है, जबकि बैंक द्वारा गणना पर राषि ₹891413/– के स्थान

पर ₹891360/–निकाला गया। इस प्रकार ₹53/–ब्याज की गणना कम की गई जिसका बैंक से उचित समय पर दावा किया जाए।

## 6 vd{k.k 'kYd%&

कृषि विपणन उपज मण्डी बिलासपुर हिमाचल प्रदेष के अवधि 4/10 से 3/11 तक का लेखा परीक्षा षुल्क ₹25342/–आंका गया है। अंकेक्षण षुल्क की उक्त राषि को निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–9 के नाम भिजवाने के लिए अनुभाग अधिकारी (ले0प0) की अधियाचना संख्या 17, दिनांक 30.4.2011 द्वारा अनुरोध किया गया जिसे ड्राफ्ट संख्या 438156, दिनांक 24.5.11 को तैयार कर भिजवा दिया गया है।

## 7 foi.ku mit e.Mh fcykl i j dh iFke /kjkry f}Ùkh; xkÅM ¶ykj] ekfdV ;kM uEgky] 'kgrykbZ o fugky fcykl i j e fufeZr nqdkuk d fdjk;k ₹674621@&dk olyu ckj%&

विपणन उपज मण्डी बिलासपुर मार्कीट यार्ड नम्होल षाहतलाई, निहाल सैक्टर के रैन्ट रोल रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि ₹674621/–की राषि परिषिष्ट "क" के अनुसार किराए के रूप में वसूली हेतु लम्बित पड़ी है, जबकि गत वर्ष की अपेक्षा वसूली योग्य किराये में 14% बढ़ौतरी पाई गई। हिमाचल प्रदेष कृषि उपज एवं औद्योगिक नियम 2006 व विकास एवं विनियम विधेयक 2005 के अनुसार ऐसे दुकानदारों पर अपेक्षित वसूली हेतु कानूनी नोटिस जारी किया जाना वांछित था। परन्तु अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि लम्बित पड़े किराये को वसूलने हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो चिन्ता का विषय है। अतः परामर्ष दिया जाता है कि दोषी दुकानदारों से किराए को वसूलने हेतु सरकार द्वारा समय–2 जारी दिषा निर्देषों व विहित इकरारनामें के अनुसार ठोस कार्रवाई की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत किया जाए।

## 8 fdjk;s dk vkf'kd :i e ikIr dju ckj%&

अभिलेख की जॉच पड़ताल पर पाया गया कि किराये के रूप में कुछ दुकानदारों द्वारा किराए का भुगतान आंषिक रूप में अदा किया जा रहा है जबकि विपणन उपज मण्डी बिलासपुर प्रथम मन्जिल से धरातल कक्ष तक निर्मित दुकाने जिनकी कुल संख्या 48 के करीब है, का किराया प्रतिमाह वसूला जाना अपेक्षित था। कुछ दुकानदारो को छोड़ कर प्रायः किराये की प्राप्ति चैक के माध्यम से हो रही है परन्तु इन राषियों को प्राप्त करने पर यह ज्ञात करना कि किराया किस अवधि से अदा किया गया है, का कोई उल्लेख दर्ज नहीं किया जाता अपितु मूलतया राषि ही दर्ज होती है जिन का विवरण निम्न से दिया जाता है:–

| pd l0 | fnukd | jkf'k | nqdku | jlhn l0 | fn0 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | l0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09995282 | –षून्य– | 4140.80 | 23, 24 व 25 | 145/91 | 1.9.10 |
| 2 | –षून्य– | –षून्य– | 1000.00 | 1 | 191/19 | 10.9.10 |
| 3 | –षून्य– | –षून्य– | 4500.00 | 7 | 151/33 | 15.9.10 |
| 4 | –षून्य– | –षून्य– | 4500.00 | 6 | 151/34 | 15.9.10 |
| 5 | –षून्य– | –षून्य– | 1000.00 | 2 | 151/35 | 15.9.10 |
| 6 | –षून्य– | –षून्य– | 3000 | 1 | 151/26 | 14.9.10 |
| 7 | –षून्य– | –षून्य– | 3000 | 2 | 151/27 | 14.9.10 |
| 8 | –षून्य– | –षून्य– | 1500 | 3 | 151/52 | 21.9.10 |
| 9 | –षून्य– | –षून्य– | 1000 | 2 | 152/008 | 27.9.10 |

इस सन्दर्भ में सुझाव दिया जाता है कि दुकानदारों से प्राप्ति सम्बन्धी अभिलेख का उचित रख–रखाव सुनिष्चित किया जाए। किराया प्रत्येक माह वसूला जाना प्रभावी किया जाए व लम्बित राषि/अवषेष को पहले वसूला जाना तथा आगामी समय में प्राप्त होने वाली राषि की रसीदें जारी करते समय देय माह का भी स्पष्ट जिक्र किया जाए ताकि प्रथम दृष्टया नवीनतम स्थिति ज्ञात हो सके।

## 9 vfxze jkf'k ₹10]000@&dk lek;kstu ckjs&

श्री अरविन्द षर्मा कनिष्ठ अभियन्ता, विपणन बोर्ड, षिमला के पक्ष में ₹10,000/–की अग्रिम राषि वा0सं0 156, दिनांक 20.10.2009 को मण्डी समिति बिलासपुर द्वारा मण्डी परिसर कार्यालय कक्ष सचिव, चेयरमेन के टायलैट ब्लाक की रिपेयर हेतु स्वीकृति की गई थी। समायोजन विभाग की जॉच पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

¼1½ अग्रिम राषि माह 10/2009 को जारी की गई थी परन्तु 10/09 से 15.6.10 तक टायलैट रिपेयर का कार्य सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा पूर्ण नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त अग्रिम राषि को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा लगभग 8 माह तक अनावष्यक रूप से आपने पास हस्तगत रखा गया। इस प्रकार उक्त राषि का अस्थाई रूप से दुर्विनियोजन हुआ है। वित्तीय नियमानुसार अग्रिम राषि तभी स्वीकृति की जाती है जबकि इस का प्रायोजन तत्कालीन किया जाना है परन्तु कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा नियमों की अवहेलना कर राषि को हस्तगत रख कर राषि का दुर्विनियोजन किया गया है जिस बारे ठोस तथ्यो सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए।

¼2½ दिनांक 16.6.10 को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा न्यूनतम कुटेषनों के आधार पर षिमला से मैसर्ज जे0एस0 ठाकुर खलीनी से उनके बिल सं0 7253, दिनांक 25.7.10 को सैन्टरी का सामान क्रय कर मण्डी परिसर में रिपेयर कार्य करवाया जिस का विवरण निम्न से हैः–

| fcy l0 | fnukd | en dk uke | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7253 | 25.7.10 | 1 PVC | 6 नं0 | 75 | 450 |
| | | 2 Exterior | 1 नं0 | 40 | 40 |
| | | 3 Syhonkit | 5 नं0 | 460 | 2300 |
| | | L Type Jet | 3 नं0 | 232 | 690 |
| | | Seat cover | 1 नं0 | 340 | 340 |
| | | Safeda | 2 नं0 | 10 | 20 |
| | | Dhaga | 2 नं0 | 5 | 10 |
| | | | | | 3856 |
| | | | | **Vat 3.75%** | 530 |
| | | | | 1 yoj pkftt | 4386 |
| | | | | | 850 |
| | | | | ;kx | 5236 |

उपरोक्त वर्णित क्रय सामग्री को किसी भी MAS Register पर दर्ज नहीं किया गया और न ही खपत विवरणियां तैयार की गई केवल राषि ₹5236/–के बिल को प्रस्तुत कर समायोजन विपत्र तैयार कर मण्डी कार्यालय में प्रेषित किया गया। अगर क्रय सामग्री को MAS Register/Stock Register में दर्ज कर किस Toilet Block में उपयोग किया दर्षाया जाता है तो क्रय/व्यय राषि की सत्यता की पुष्टि सम्भव थी। अतः इस सन्दर्भ में अभिलेखों का उचित रख–रखाव करते हुये अनुपालना/वस्तु स्थिति से आगामी अंकेक्षण पर सूचित किया जाए।

¼3½ अग्रिम राषि की षेष राषि ₹4764/– को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा विपणन समिति बिलासपुर में रसीद संख्या 086/72 दिनांक 23.4.01 को जमा करवाया गया, जिसकी पुष्टि की गई परन्तु षेष राषि को भी अत्याधिक विलम्ब से जमा करवाया गया जिसे दण्ड ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित था, जिस बारे अब उचित कार्रवाई कर ली जाए।

10 e.Mh 'kYd dk 25% Hkkx ckM dk if"kr dju ckj&^

### ok0 l0 134 ekg 8@10 jkf'k ₹396753@&

उक्त वा0सं0 द्वारा ₹396753/—जो कि मण्डी षुल्क का 25% भाग बनता था अवधि 1.4.10 से 31.7.10 राषि ₹1587011/—प्रबन्ध निदेषक विपणन बोर्ड, खलीनी षिमला को भेजी गई व खर्चा उप षीर्ष 28 रिपेयर ऑफ बोरिंगंस में बुक किया गया था व राषि बैंक ड्राफ्ट संख्या 2136763 दिनांक 4.9.10 को तैयार कर भिजवा दी गई है लेकिन भुगतान प्राप्ति रसीद अभी तक प्राप्त नहीं की गई, जिसे अब षीध्र प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण पर सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाए।

### 11 jlhn cqdks dk mi;ksx ckjs&

रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर पृ0 19 के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 4/10 से 3/11 तक मण्डी पर्यवेक्षक को विपणन उपज मण्डी बिलासपुर से मण्डी षुल्क की प्राप्ति, कम्पाऊड फीस, रजिस्टेषन फीस नवीकरण ऑफ लाईसेन्स के लिए निम्न रसीद बुकें जारी की गई। मण्डी षुल्क की प्राप्ति हेतु मण्डी पर्यवेक्षक द्वारा एक दैनिक भोगी कर्मचारी से ही कम्पाउड फीस, Daily Collection, रजिस्टर्ड विक्रेताओं के एम फार्म की गणना, लाइसैन्स नवीकरण का पूर्ण कार्य लिया जा रहा है जिस के द्वारा मण्डी षुल्क का पूर्ण लेखा जोखा का कार्य रसीदें काटने का कार्य/काम लिया जा रहा है।

LVkd@jlhn jftLVj dh tkap ij fuEu jlhn cqdks dk tkjh fd;k tkuk n'kk;k x;k gSA

| jlhn cqd l0 | fnukad | ftl jlhn cqd tkjh dh xbZ mldk uke |
|---|---|---|
| 129 | 29.4.10 | श्री प्रभु षांडिल मण्डी पर्यवेक्षक |
| 130 | 26.5.10 | श्री प्रभु षांडिल मण्डी पर्यवेक्षक |
| 142 | 26.6.10 | श्री प्रभु षांडिल मण्डी पर्यवेक्षक |
| 145 | 27.7.10 | श्री चेतराम दैनिक भोगी कर्मचारी |
| 151 | 4.9.10 | श्री चेतराम दैनिक भोगी कर्मचारी |
| 165 | 11.10.10 | श्री चेतराम दैनिक भोगी कर्मचारी |
| 172 | 8.12.10 | श्री चेतराम दैनिक भोगी कर्मचारी |
| 179 व 180 | 14.3.10 | श्री चेतराम दैनिक भोगी कर्मचारी |

उपरोक्त वर्णित रसीदों में से कुछ रसीदें श्री प्रभु षांडिल मण्डी पर्यवेक्षक द्वारा प्राप्त की गई व षेष रसीदें श्री चेतराम द्वारा प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि उक्त रसीदों में से 5% रसीदों को मण्डी पर्यवेक्षक द्वारा अपने स्त्तर पर मण्डी षुल्क की गणना उपरोक्त रजिस्टर्ड फर्म को जारी की गई व 95% रसीदों के अन्तर्गत मण्डी षुल्क एम फर्म की जॉच पर मण्डी षुल्क की गणना Compound Fee की गणना दैनिक भोगी द्वारा अपने हस्ताक्षर दर्ज कर षुल्क प्राप्त किया जाता है जबकि प्रबन्ध निदेषक के

ज्ञापन संख्या एच0एम0बी0(वी)सी–1/97–3356 दिनांक षून्य में यह स्पष्ट किया गया है कि दैनिक भोगी कर्मचारियों व अनुबन्ध के आधार पर कार्यरत्त कर्मचारियों से चैक पोस्ट व मण्डी कार्यालय में अन्य कार्य लेने हेतु प्रतिबन्धित किया गया है। इस प्रकार उच्च प्राधिकारियों द्वारा जारी अनुदेषों की अवज्ञा करते हुए उक्त जिम्मेवारी से सम्बन्धित कार्य का निष्पादन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से लिया जा रहा है, जो अनुचित प्रक्रिया के साथ–2 जोखिम भरा है। अतः इस सन्दर्भ में विपणन समिति प्राधिकारियों को परामर्ष दिया जाता है कि उक्त प्रकार के कार्य विहित प्रावधानानुसार सम्बन्धित नियमित कर्मचारियों से लिया जाना सुनिष्चित किया जाए।

12 y/kq vkifÙk foojf.k;kW& यह अलग से जारी नहीं की गई।

13 lkjka'kk& लेखों में सुधार पाया गया। तदार्थ गत प्रतिवेदनों की अनिर्णित आपत्तियों के निपटारे हेतु उचित कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)एच(2)सी (15)(14) 77/84 खण्ड–5 दिनांक, षिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

i:thdr 1 सचिव विपणन समिति बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर अतिषीघ्र इस विभाग को भेजें।

2 सचिव, कृषि हि0प्र0 सरकार षिमला–2

3 प्रबन्ध निदेषक हि0प्र0 कृषि राज्य विपणन बोर्ड विपणन सदन खलीनी षिमला–2

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.